संचिका सं0 10/विविध–16–13/2012 – 29(10)स्वा

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांकः– 19-3-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रुपये 1,60,00,000/–(एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान का आवंटन ।

महाशय,

स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1527(10), दिनांक–16.03.2018 के क्रम में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रुपये 1,60,00,000/–(एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान का आवंटन दी जाती है।

2. इसका व्यय मांग संख्या–20 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ– 0002–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, विपत्र कोड–20–2210052000002–विषय शीर्ष (31 04) सहायक अनुदान–वेतन में उपबंधित राशि रुपये 1,35,00,000/–(एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष (31 06) सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 25,00,000/–(पच्चीस लाख रुपये) से विकलनीय होगा ।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–42 में राशि की निकासी कर पूर्व पावती रसीद लेकर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे । निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार संस्थान स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का ही वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । इस राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि किसी बकाये का भुगतान अपेक्षित हो तो इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।

5. इस राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 8593 वि0(2) दिनांक 27.11.2007, 96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 एवं 3923 वि0(2) दिनांक 09.04.2010 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. क्रय सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक 18.02.1999, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002, 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक– 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।

7. राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग को उपयोगिता/व्यय संबंधित सम्यक् प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा ।

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि संस्थान द्वारा खोले गए राष्ट्रीयकृत बैंक में विपत्र द्वारा हस्तान्तरित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 10/विविध–16–13/2012 — 29(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19-3-2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन सचिवालय पटना/निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–10 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/18
सरकार के विशेष सचिव ।

उपबंध की स्थिति

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	वर्त्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
31 04 सहायक अनुदान –वेतन	1,35,00,000	1,35,00,000	0.00
31 05 सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण	0.00	0.00	0.00
31 06 सहायक अनुदान –वेतनादि के अलावा	25,00,000	25,00,000	0.00
कुल	1,60,00,000	1,60,00,000	0.00

(एक करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र

19/3/18
सरकार के विशेष सचिव ।